रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 31] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1995/कार्तिक 27, 1917
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1995/KARTIKA 27, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1995

का. नि. आ. 225.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में,—

(1) दफ्तरी, ज्येष्ठ चपरासी, रक्षा अनुरक्षक श्रेणी 1, पैकर और जमादार सफाई वाला के पदों से संबंधित क्रमशः क्रम संख्यांक 2, 3, 4, 6 और 12 के सामने स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रुपए"

(2) फिल्म चैकर सह पैकर और बूम मेन के पदों से संबंधित क्रमशः क्रम संख्यांक 8 और 20 के सामने स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रुपए"

टिप्पण :— ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को 800—15—1010—द.रो.—20—1150 रुपए के वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं, उस वेतनमान में व्यक्तिगत आधार पर बने रहेंगे"।

(3) प्रयोगशाला परिचर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 9 के सामने स्तंभ में "775-12-871-द. रो.-14-1025-रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रु." शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए/32982/मु. प्र. अ /आर-II]

एम. एन. असगर, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 4 में का. नि. आ. 276 तारीख 24 अक्तूबर, 1988 द्वारा तारीख 12 नवम्बर, 1988 को प्रकाशित किए गए थे और उनका भारत के राजपत्र भाग—2, खंड 4 में तारीख 2 सितंबर, 1989, 6 जनवरी, 1990, 20 अक्तूबर, 1990, 1 जून, 1991, 5 अक्तूबर, 1991, 18 अप्रैल, 1992 और 18, दिसम्बर, 1993 को प्रकाशित क्रमशः का. नि. आ. 247 तारीख 28 जुलाई, 1989 का. नि. आ. 367 तारीख 15 दिसम्बर, 1989, का. नि. आ. 193 तारीख 6 सितम्बर, 1990, का. नि. आ. 112 तारीख 30 अप्रैल, 1991, का. नि. आ. 199 तारीख 29 अगस्त, 1991, का. नि. आ. 82 तारीख 17 मार्च, 1992 और का. नि. आ. 177 तारीख 19 अक्तूबर, 1993 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th October, 1995

S.R.O. 225.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations (Group 'D' posts Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations (Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988,

(1) against serial numbers 2, 3, 4, 6 and 12 relating to the posts of Daftry, Senior Peon, Security Escort Grade I, Packer and Jamadar Safaiwala respectively, in column 4 for the entry the following entry shall be substituted, namely :—

"775—12—871—14—955—15—1030—20—1150".

(2) against serial numbers 8 and 20 relating to the posts of Film Checker-cum-Packer and Boom Man respectively, in column 4 for the entry the fillowing entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 775—12—871—14—955—15—1030—20—1150."

Note :—Persons holding the post in the pay scale of Rs. 800—15—1010—EB—20—1150 on the date of notification if these rules shall carry that scale on personal basis."

(3) against serial number 9 relating to the post of Laboratory Attendant, in column 4, for words and figures "Rs. 775—12—871—EB—14—1025", words and figures "Rs. 775—12—871—14—955—15—1030—20—1150" shall be substituted.

[File No. A/32982/CAO/R-II]

M. N. ASGHAR, Dy. Chief Administrative Officer

Note : Principal rules published on the 12th November 1988 vide SRO 276 dated the 24th October 1988 in the Gazette of India, Part II, Section 4 and amended vide SRO 247 dated 28 July 89, SRO 367 dated 15 December 1989, SRO 193 dated 6 September 1990, SRO 112 dated 30 April 1991, SRO 199 dated 29 August 1991, SRO 82 dated 17th March 1992 and SRO 177 dated 19th October 1993 published on 2nd September 1989, 6th January 1990, 20th October, 1990, 01 June 1991, 5th October, 1991, 18th April 1992 and 18th December 1993 respectively.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1995

का. नि. आ. 226 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना समूह "ग" औद्योगिक (प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय के अधीन नौसेना में कतिपय समूह "ग" अनौद्योगिक (प्रकीर्ण पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह "ग" अनौद्योगिक (प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
चार्जमैन मैकेनिक	1* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय अनौद्योगिक	1320-30-1560-द. रो.-40-2040 रु.	चयन	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	नहीं

	6
	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
आवश्यक : 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त कर्मशाला में अनुमोदित शिक्षुता वांछनीय : यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नत/स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं ।

भर्ती की पद्धति : सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा.	प्रोन्नति : ऐसे फिटर श्रेणी 1 और इंजन चालक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर ऐसे ट्रेड्समैन मैट (फिटर इंजन चालक), जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है । स्थानान्तरण ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर —अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के दो आफिसर [(एक) विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से] —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. श्रम निरीक्षक	3* (1995 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय अनौद्योगिक	1200-30-1560-द० रो-40-2040 रु०	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती हैं। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित गई है)।	नहीं

8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें समाज विज्ञान एक विषय रहा हो। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से श्रम कल्याण औद्योगिक संपर्क में डिप्लोमा। या मैट्रिकुलेशन या समतुल्य/सेना, नौसेना या वायुसेना में नौसैनिक/मुख्य पैटी आफिसर या समतुल्य के रूप में 10 वर्ष की नियमित सेवा। वांछनीय : श्रम विधि का ज्ञान।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

11	12
स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर —अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के दो आफिसर (एक) विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से) —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. गोताखोर	2* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	1600-50-2300-द.रो.-60-2660 रु.	अचयन	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिये शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	नहीं

7
प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है)।

8	9	10
आवश्यक : 1. आठवां स्तर या समतुल्य। 2. गोताखोर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष। प्रोन्नत/स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिये कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे उच्च कुशल ट्रेड्समैन श्रेणी 2 और कुशल ट्रेड्समैन, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। प्रोन्नति का पात्र बनने के लिए डाइविंग स्कूल, कोचीन के गोताखोरी पाठ्यक्रम में अर्हित होना आवश्यक है। स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत है और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर—अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कमांडर/लैफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के दो अधिकारी (एक विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से)—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
4. होस्टल अधीक्षक	1* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिये शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।	नहीं

8	9	10
(1) इंटरमीडियेट या हायर सैकेंडरी या सीनियर कैम्ब्रिज या समतुल्य। (2) किसी मैस या होस्टल और तत्समान को चलाने का पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिये कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

11	12
स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. कमांडर या समतुल्य रेंक का आफिसर—अध्यक्ष 2. लैफ्टिनेंट कमांडर/लैफ्टिनेंट या समतुल्य रेंक के दो आफिसर (एक विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. श्रमिकों का लीडिंग, मैन	3* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु.	अचयन	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, सरकारी सेवकों के लिये शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है)।	नहीं

8	9	10
1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. श्रमिकों के पर्यवेक्षण कार्य का 10 वर्ष का अनुभव।	नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष। प्रोन्नत/स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिये कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : श्रमिकों के ऐसे प्रधान मुकद्दम, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है। प्रोन्नति के लिये विचार किये जाने का पात्र होने के लिये विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर—अध्यक्ष 2. लैफ्टिनेंट कमांडर/लैफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के दो आफिसर (एक विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से)—सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. रेडियोग्राफर	1* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	1320-30-1560-40-2040रु. वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और निरीक्षण संगठन के पदों के लिए (2) 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु. गैर प्रयोगशाला कार्य वाले पदों और परा-चिकित्सीय पदों के लिए।	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में इंटरमीडिएट और रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या विज्ञान में डिग्री जिसमें भौतिक विज्ञान एक विषय रहा हो या समतुल्य अर्हताएं। 2. धातु कर्म प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव या औद्योगिक रेडियोग्राफी उपस्करों से कार्य करने का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा अवधि नहीं।

(11)	(12)
स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर—अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के दो आफिसर (एक विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से) —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सुरक्षा सहायक	1* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
शतप्रतिशत प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण : कमान रोस्टर पर ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :— (क) उच्च वर्गीकृत प्रकृति की फाइलों और दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से निपटाना। (ख) गोपनीय दस्तावेजों और निर्देश पुस्तकों का वितरण और अनुरक्षण कर सकते हों और उनका लेखा रख सकते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर—अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के दो आफिसर (एक विभागीय और एक किसी अन्य सरकारी कार्यालय से)—सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. रूसी भाषा टंकन	1* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक	1200-30-1540-द.रो.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1. उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) या समतुल्य। 2. रूसी भाषा में उच्च प्रवीणता। 3. रूसी भाषा में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण कर सकता हो। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रूसी भाषा में उच्च (एडवांस) डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

(11)	(12)
स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : (ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत है और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. कमांडर का समतुल्य रैंक का आफिसर—अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतल्य रैंक के दो आफिसर (एक विभागीय और एक अन्य सरकारी कार्यालय से—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
9. मोर्चा/उपस्कर मरम्मत करने वाला और मोची	2* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	950-20-1150 द.रो. 25-1500 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण :– आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियो से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
					होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	

8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से समुचित/संबंधित क्षेत्र या व्यवसाय में प्रमाण-पत्र या समतुल्य । या नाविक या समतुल्य की पंक्ति धारण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सेना, नौसेना या वायुसेना की समुचित तकनीकी शाखा में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । प्रोन्नति/स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा अवधि नहीं ।

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा । और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा अर्द्ध-कुशल श्रमिक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जो रक्षा सेवाओं की निम्नलिखित विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. कमांडर या समतुल्य रैंक का आफिसर—अध्यक्ष	लागू नहीं होता

13	14
2. लेफिटनेंट कमांडर/लेफिटनेंट या समतुल्य रैंक के दो आफिसर (एक विभागीय और एक अन्य सरकारी कार्यालय से) —सदस्य	

टिप्पण :—ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

2. अनुसूची के स्तंभ (8) में उपदर्शित अनुभव संबंधी (अर्हताएं) नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. सी पी (एन जी) / 2825]

रीता चटर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 1995

S.R.O. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'C' Non-Industrial (Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' Non-Industrial (Miscellaneous Posts) in the Navy, under the Ministry of Defence, namely: —

1. (1) Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Navy Group 'C', Non-Industrial (Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is persmissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
1. Chargeman Mechanic	1* (1975) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial Non-Industrial.	Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040	Selection	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir state, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
7	8	9	10
No	Essential: 1. Matriculation or equivalent. 2. Approved Apprenticeship in an Industrial Training Institute or reputed workshop. Desirable: A Diploma in Mechanical/Electrical Engineering.	No	Two years for direct recruits. No probation period for promotees/transferees.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13	14
By promotion, failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion. Fitter Grade I and Engine Driver with 3 years regular service in the grade failing which Tradesman Mate (Fitter's Engine Drivers) with 4 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Officer of the rank of Commander or equivalent—Chairman 2. Two officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government Office).—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
2. Labour Inspector	3* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No,	Degree from a recognised University with Sociology as one of the subjects. OR Diploma in Labour Welfare Industrial Relations from a recognised Institute. OR Matriculation or equivalent, 10 years regular service as a Sailor/Chief Petty Officer or equivalent in the Army, Navy or Air Force. Desirable: Knowledge of Labour Law.	Not applicable	Two years for direct recruits. No probation period for transferees.

11	12	13	14
By transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Officer of the rank of Commander or equivalent—Chairman 2. Two officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government Office).—Members	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Drive	2* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660	Non-selection	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No.	Essential: 1. 8th Standard or equivalent. 2. 5 years experience as a Diver. Desirable: Matriculation of equivalent.	No	Two years for direct recruits. No probation period for promotees/transferees.

11	12	13	14
By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment	Promotion: Tradesman Highly Skilled Grade II and Tradesman Skilled with 3 years regular service in the grade. Must qualify in a diving course at Diving School, Cochin to become eligible for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Officer of the rank of Commander or equivalent.—Chairman. 2. Two officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent or (one departmental and one from other Government Officer)—Members.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
4. Hostel Superintendent	1* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Not applicable	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No	1. Intermediate or Higher Secondary or Senior Cambridge or equivalent. 2. 5 years' experience in running a mess or Hostel and the like.	Not applicable	Two years for direct recruits. No probation period for transferees.

11	12	13	14
By transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Officer of the rank of Commander or equivalent.—Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government office).—Members	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
5. Leadingman of Labourers	3* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800	Non-selection	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
No	1. Matriculation or equivalent. 2. 10 years' experience of supervising work of labourers.	No	Two years for direct recruits. No probation period for promotees/transferees.

11	12	13	14
By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion: Head Mukadam of Labourers with 3 years' service in the grade. Must pass in a departmental qualifying test to become eligible for consideration for promotion. Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Officer of the rank of Commander or equivalent.—Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government Office).—Members	Not applicable

1	2	3	4	5	6
6. Radiographer	1* (1995)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	(i) Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040. For posts in Scientific Laboratories and Inspection Organisation. (ii) Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040. For posts engaged in non-laboratory work and paramedical posts.	Not applicable	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled, Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

*Subject to variation dependent on workload.

7	8	9	10
No	1. Intermediate in Science with Dimploma in radiography or Degrec in Science with Physics as one of the subjects from a recognised University or equivalent qualifications. 2. Two years experience in a metallurgical laboratory or experience in operation of industrial radiographic equipment.	Not applicable	Two years for direct recruits. No probation period for transferees.

11	12	13	14
By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Officer of the rank of Commander or equivalent.—Chairman. 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government Office).—Members.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
7. Security Assistant	8* (1995)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800 EB-50-2300.	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

7	8	9	10
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
100% by deputation/ transfer.	Deputation/transfer : Upper Division Clerk on Command Roster with 3 years' regular service in the grade and possessing following qualifications :— (a) Dealing independently with files and documents of highly classified nature. (b) Distributions and maintenance of confidential documents and books of reference and maintenance of their accounts. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Officer of the rank of Commander or equivalent—Chairman. 2. Two officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government Office).—Members.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
8. Russian Language Typist.	1* (1995)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted. Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 1200-30-1560 EB-40-2040.	Not applicable	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accorcance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

*Subject to variation dependent on work-load.

7	8	9	10
No	Essential : 1. Higher Secondary (or equivalent). 2. Higher Proficiency in Russian Language. 3. Should be able to type at a speed of 30 words per minute in Russian. Desirable : Advance Diploma in Russian Language from a recognised University or instruction.	Not applicable	Two years for direct recruits. No. of probation period for transferees.

11	12	13	14
By transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Officer of the rank of Commander or equivalent.—Chairman. 2. Two officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government Office).—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
9. Bootmaker/Equipment Repair and Boot Maker.	2* (1995) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service. Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-11500.	Non-selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Govt. servants upto 40 years in the case of ganeral candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Laksbadweep).

7	8	9	10
No	Certificate from a recognised Industrial Training Institute for equivalent in the appropriate/ akin field or trade. OR Candidates should have held the rank of Seaman I or equivalent with 3 years regular service in the appropriate technical branch of the Army, Navy or Air Force.	No	Two years for direct recruits. No probation period for promotees/ transerees.

11	12	13	14
By promotion, failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Promotion : Semi-Skilled Labourer with 3 years' regular service in the grade and who have passed in a departmental qualifying test. Transfer : Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Officers of the rank of Commander or equivalent.—Chairman. 2. Two officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent (one departmental and one from other Government office).—Members.	Not applicable

[No. C.P.(NG)/2825]

RITA, CHATTERJEE, Under Secy.

Notes : 1. In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

2. The qualifications regarding experience indicated in column (8) of the Schedule is relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes, if at any Stage of selection, the appointing authority is of the opinin that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995